



क्रमांक 752/बै.प्र./सभा/2023

बिलासपुर, दिनांक : 13-11-2023

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 293/सभा./बै.प्र./2022 बिलासपुर दिनांक 11.05.2022 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की सभा में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 10(5)(ii)(12) विभागों के तीन विभागाध्यक्ष, जो संकायाध्यक्ष या आचार्य नहीं हैं, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

1. डॉ० सोमा दास, सह-आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग  
के स्थान पर

डॉ० गौरी त्रिपाठी, सह-आचार्य, हिन्दी विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा सभा के कार्यकाल, जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

2. 10(5)(ii)(13) दो सह-आचार्य जो संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष नहीं हैं, और दो सहायक आचार्य, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।


1. डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल, सह-आचार्य, वाणिज्य विभाग

के स्थान पर

डॉ० अनीता खन्ना, सह-आचार्य, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा सभा के कार्यकाल, जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 753/बै.प्र./सभा/2023

बिलासपुर, दिनांक : 13-11-2023

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. सभा के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)